—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :—66/2024

उनवान

1. शंकर पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवकता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. इकराम अहमद पुत्र अब्दुल गफफार जाति मुसलमान निवासी 661, स्टेशन रोड नसीराबाद हाल निवासी सेक्टर नम्बर 3, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली,
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 30.4.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा प.म. चाट तहसील नसीराबद के हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 0.41 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में ग्राम धोलादांता देराठू की सीमा लगती हुयी है, जहा पर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 58 स्थित है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करते हुये प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौके पर पुराना नाला बना हुआ है। बरसाती पानी इसी नाले से होते हुये सडक की पुलिया से होते हुये आगे निकलता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आराजी पर दुकाने काट कर अलग—अलग केतागणों को बैचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पूर्व में ही सपंरिवर्तित की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी ने उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर ... द्वारा ... पर विवाद होने की टिप्पणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिनांक 06.05.24 की रिपोर्ट में की है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया है कि मौके पर पुराना नाला बना हुआ है। बरसाती पानी इसी नाले से होते हुये सडक की पुलिया से होते हुये आगे निकलता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आराजी पर दुकाने काट कर अलग–अलग केतागणों को बेचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पूर्व में ही सपंरिवर्तित की जा चुकी है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। मौके पर नाले होने के कोई प्रमाण भी पत्रावली पर नही है। प्रकरण के माध्यम से प्रार्थी स्वयं की खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवान चाहता है, जिससे अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। पत्थरगढी से प्रार्थी की आराजी की सीमा कर स्थिति स्पष्ट होगी। प्रार्थी पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसारग्राम जगपुरा प.म. चाट तहसील नसीराबद के हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 0.41 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। उल्लेखनीय है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से मात्र आराजी की सीमा स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवायी जावे। मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने पर कब्जा दिलवाने की कार्यवाही नही की जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested